प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थानाः– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......2181/2022...... दिनांक......4/6/2022......

2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**

(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–

(3) अधिनियम .... धाराये :–..

(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......55......समय......12:15 P.M

(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **03.06.2022** समय **05.34 पी.एम.**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **17.05.2022** समय **11.40 ए0एम0**

4. सूचना की किस्म :– **कम्प्युटराईज्ड**

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा पूर्व करीबन 03 किलोमीटर**

(ब) पता :– **कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाडमेर**

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता

(अ) नाम :– **श्री रेवन्तसिह**

(ब) पिता का नाम :– **श्री कालूसिह**

(स) जन्मतिथि/वर्ष :– **उम्र 50 वर्ष**

(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**

(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी..............................

(र) व्यवसाय :– **खेती**

(ल) पता :– **निवासी गांव बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर जिला बाडमेर।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

श्री संग्राम भंसाली पुत्र स्व0 श्री मोहनराज भंसाली उम्र 50 वर्श जाति जैन निवासी जून किराडू मार्ग, चिदडियो की जाल के पास बाडमेर पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर हाल सहायक अधीक्षक (तदर्थ अधीक्षक डाक बाडमेर) कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाडमेर मोबाईल नम्बर 9530405851 ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 7000 रुपये**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाडमेर।

विषयः– संग्राम भंसाली, अधीक्षक डाक घर बाड़मेर को रिश्वत लेते वाले को रंगे हाथो पकडवाने बाबत्।

महोदयजी,

निवेदन है कि मन् रेवन्तसिह पुत्र श्री कालूसिह जाति राजपूत निवासी गांव बलाई तहसील शिव जिला बाडमेर का इस प्रकार है कि मै डाक विभाग में पहले अस्थाई केजूअल लेबर के पद पर पदस्थापित था एवं वर्ष 2020 में मेरा नियमित कर्मचारी(एमटीएस) में चयन हो गया। वर्ष 2022 में मुझे केजुअल लेबर का भुगतान होना था, जिस पर उक्त भुगतान बाबत मैं श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाक घर बाड़मेर से दिनांक 29.03.2022 को मिला तो उन्हौने मुझे 64500रुपये एरियर भुगतान की एवज में 40,000रुपये बतौर रिश्वत देने की शर्त पर ही एरियर स्वीकृत करने का कहा, जिस पर उन्हौने मेरे से 30,000रुपये दिनांक 31.03.2022 को रोकड़ उनके चेम्बर में दिये, उसके बाद व रोज मुझे बकाया 10,000रुपये की मांग कर रहे है एवं बोल रहे है कि आपका आगे और जो एरियर स्वीकृत होना है व मैं जब तक स्वीकृत नहीं करुंगा जब तक आप बकाया 10,000रुपये मुझे नहीं दोगे, जिस पर मैने उन्हें प्रति माह एक हजार रुपये देने का कहा एवं मैने उसके बाद 1,000रुपये की पहली किस्त दिनांक 28.04.2022 को दे दी है एवं अब वह बकाया 9,000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज कार्य के लिए अधीक्षक डाक घर बाड़मेर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजिस या दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा आपस में कोई लेन–देन बकाया है। मैं मेरे विभाग द्वारा दिनांक 29.03.2022 को स्वीकृत एरियर आदेश की छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

अतः रिपोर्ट कर प्रार्थना है कि कानूनी कार्यवाही करावे।

इति दिनांक 17.05.2022

सही/–
(रेवन्तसिह)
निवासी गांव बलाई तहसील शिव
जिला बाडमेर
मो न. 9413781691

एसडी
श्री रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

एसडी	एसडी	एसडी
मुकनदान सी.आई	धनपत चारण	जयप्रकाश
दिनांक 17.05.22	03.06.2022	03.06.2022

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 17.05.2022 वक्त 11.40 ए0एम0</u>

इस समय परिवादी श्री रेवन्तसिंह पुत्र श्री कालूसिंह जाति राजपूत निवासी गांव बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर ने टाईपशुदा रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि '' मैं डाक विभाग में पहले अस्थाई केजूअल लेबर के पद पर पदस्थापित था एवं वर्ष 2020 में मेरा नियमित कर्मचारी(एमटीएस) में चयन हो गया। वर्ष 2022 में मुझे केजुअल लेबर का भुगतान होना था, जिस पर उक्त भुगतान बाबत मैं श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाक घर बाड़मेर से दिनांक 29.03.2022 को मिला तो उन्हौने मुझे 64500रुपये एरियर भुगतान की एवज में 40,000रुपये बतौर रिश्वत देने की शर्त पर ही एरियर स्वीकृत करने का कहा, जिस पर उन्हौने मेरे से 30,000रुपये दिनांक 31.03.2022 को रोकड़ उनके चेम्बर में दिये, उसके बाद व रोज मुझे बकाया 10,000रुपये की मांग कर रहे है एवं बोल रहे है कि आपका आगे और जो एरियर स्वीकृत होना है व मैं जब तक स्वीकृत नहीं करुंगा जब तक आप बकाया 10,000रुपये मुझे नहीं दोगे, जिस पर मैने उन्हें प्रति माह एक हजार रुपये देने का कहा एवं मैने उसके बाद 1,000रुपये की पहली किस्त दिनांक 28.04.2022 को दे दी है एवं अब वह बकाया 9,000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज कार्य के लिए अधीक्षक डाक घर बाड़मेर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरी उनसे किसी

प्रकार की रंजिस या दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा आपस में कोई लेन–देन बकाया है। मैं मेरे विभाग द्वारा दिनांक 29.03.2022 को स्वीकृत एरियर आदेश की छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ'' परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त शिकायत पर बाजार से टाईप करवाकर लाया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की परिभाषा में आने से परिवादी श्री रेवन्तसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री रेवन्तसिंह का श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस से परिचय करवाया जाकर परिवादी का मूल प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही निरीक्षक पुलिस सुपूर्द किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री रेवन्तसिंह को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी के प्रार्थना पत्र सहित अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ। परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टंया पाये जाने पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उपस्थित परिवादी से परस्पर परिचय करवाया गया एवं कार्यालय कक्ष की अलमारी से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को ऑपरेट करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं अभी कार्यालय जा रहा हूँ, श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक की कार्यालय में उपस्थिति ज्ञात कर सूचित कर दूंगा एवं रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, जिस पर परिवादी श्री रेवन्तसिंह को हिदायत हुई की आप अपने कार्यालय में जाकर एस0ओ0 की उपस्थिति ज्ञात कर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सूचित कर एस0ओ0 से रिश्वती राशि मांग से सम्बंधित वार्तालाप कर उक्त वार्तालाप को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर बाद सत्यापन ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आवें एवं श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर उक्त स्थान पर पहुच परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपूर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को रिकार्ड कर उपस्थित आने की हिदायत हुई एवं परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखस्त किया गया।

दिनांक 17.05.2022 को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि परिवादी ने जरिये मोबाईल कॉल कर सूचित किया कि सम्बंधित अधिकारी कार्यालय में उपस्थित है एवं डाक घर बाड़मेर पर डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर कार्यालय के बाहर आ जाओं, मैं रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन बाबत वार्तालाप कर उक्त वार्ता को रिकार्ड कर लूंगा, जिस पर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को आवश्यक हिदायत कर परिवादी से मिलकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को रिकार्ड करवाकर परिवादी के साथ बाद सत्यापन ब्यूरो चौकी उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया जिस पर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 परिवादी श्री रेवन्तसिंह के साथ ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित आए एवं श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 ने डिजिटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में मन् निरीक्षक पुलिस को सुपूर्द कर अवगत करवाया कि निर्देशानुसार ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर डाक घर बाड़मेर के बाहर पहुचा, जहॉ पर पूर्व से पाबंध सुदा परिवादी श्री रेवन्तसिंह उपस्थित मिला, जिसको डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की पुनः समझाईश कर डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर डाक घर बाड़मेर में अधीक्षक के कार्यालय में भेजा, मैं वही पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इन्तजार में मुकीम हुआ, कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास उपस्थित आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया एवं परिवादी ने बताया कि श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक द्वारा मेरे से रिश्वत की मांग बाबत वार्ता की जिसे मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई है, जिस पर हम दोनो वहॉ से रवाना होकर श्रीमान् के समक्ष उपस्थित हुए है। उपस्थित परिवादी ने बताया कि श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाक घर बाड़मेर ने मेरे से एरियर के सम्बंध में वार्ता की, जिस पर मैने उन्हें मेरे बकाया 1,41,000रुपये बकाया एरियर का भुगतान करने का कहा, जिस पर उन्हौने उक्त एरियर भुगतान की एवज में मेरे से पहले आठ हजार रुपये रिश्वत की मांग की एवं बाद में कहा कि दस हजार होते है, आठ हजार दे दे, जिस पर मैने उनसे कहा कि तीन–चार हजार मेरे खाते में पडे एवं तीन हजार घर पर पडे है, जिस पर उन्हौने कहा कि आठ हजार दे तो ठीक रहेगा, लालच नहीं करना, जिस पर मैने तीन अभी देने एवं बाकी एक तारीख को देने की वार्ता की, जिसे मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को आन कर सुना गया, जिसमे परिवादी द्वारा बताये कथनो की ताईद हुई। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री संग्राम भंसाली द्वारा पहले 8000रुपये रिश्वत राशि की मांग की एवं बाद में 7000रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सहमत हुए। मैं श्री

संग्राम भंसाली द्वारा रिश्वत में मांगी गई 7000रुपये की राशि वेतन खाते में आने पर उसको दूंगा, वह मेरे से रिश्वत में मांगी गई 7,000रुपये की राशि प्राप्त कर लेंगे। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो व रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप से श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक, डाक घर बाड़मेर द्वारा परिवादी से उसका जायज कार्य करने की एवज में 7,000रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही परिवादी के कहे अनुसार उसका मासिक वेतन खाते में आने पर सम्भवत दिनांक 01.06.22 या उसके पश्चात होने पर परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर उसका मासिक वेतन खाते में आने पर आरोपी द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि 7000रुपये की व्यवस्था कर उपस्थित आने की हिदायत कर रुखस्त किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वयं की अभिरक्षा में कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स मूर्तिब की जायेगी।

दिनांक 03.06.2022 को परिवादी श्री रेवन्तसिह ब्यूरो चौकी में मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ एवं दिनांक 17.05.2022 को आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के हालात बताए एवं आरोपी श्री संग्राम भंसाली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7000रुपये की व्यवस्था कर स्वयं के पास होना बताया, जिस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम तेहरीर कमांक 1038 दिनांक 03.06.2022 मूर्तिब कर स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री रघुवीरसिंह कानि0 को रवाना किया गया। रवानाशुदा श्री रघुवीरसिंह कानि0 स्वतंत्र गवाह लेने हेतु गया हुआ ब्यूरो चौकी पर अपने साथ दो स्वतंत्र गवाहान के मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया, जिस पर परिवादी के रुबरु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछने पर उन्हौने कमशः अपना परिचय श्री धनपत चारण पुत्र श्री लीलकरण चारण जाति चारण उम्र 32 साल पेशा नौकरी निवासी विश्वकर्मा सर्किल के पास राय कॉलोनी रोड बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर, मोबाईल नम्बर 6375387067 एवं श्री जयप्रकाश पुत्र स्व0 श्री लूणकरण सोनी जाति सोनी उम्र 24 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गायत्री चौक ढाणी बाजार बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) बाडमेर, मोबाईल नम्बर 7976573728 होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस के पास बैठे परिवादी श्री रेवन्तसिह का परिचय करवाया गया एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड थी को चालू कर उपस्थित दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री रेवन्तसिह को आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री रेवन्तसिह ने पॉच सौ रुपये के चौदहा नोट कुल 7000रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द मे अंकित किये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री हनीफ हैड.कानि0 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री रघुवीरसिह कानि.143 से उक्त 7000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री रेवन्तसिह की जामा तलाशी गवाह श्री धनपत चारण से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री रेवन्तसिह के पहने हुए कमीज की उपरी दाहिनी जेब में श्री रघुवीरसिह कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रेवन्तसिह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुएे आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री रेवन्तसिह को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रघुवीरसिह कानि. के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ

धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली–भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री रघुवीरसिह कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर श्री श्री रघुवीरसिह कानि. से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना–अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिह कानि. को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिग नोट की गई। ताबाद रिश्वती राशि मांग–सत्यापन से संबधित फर्द ट्रांसकिप्टस तैयार करनी शेष होने से परिवादी श्री रेवन्तसिह तथा आरोपी श्री संग्राम भंसाली के मध्य दिनांक 17.05.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी. डी. श्री लालाराम कानि. 328 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री संग्राम भंसाली के आवाज की पहचान परिवादी श्री रेवन्तसिह द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ताओं की मूर्तिब सुदा सीडीयो को सुरक्षित जमा मालखाना करने हेतु श्री मोहम्मद हनीफ हैड् कानि0 मालखाना प्रभारी को सुपूर्द की गई। परिवादी द्वारा अपने स्तर पर आरोपी की लोकेशन ज्ञात कर बताया कि आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर सुबह एक बार कार्यालय आकर फिल्ड मे चले गये है। जिस पर आरोपी के पुनः कार्यालय मे उपस्थित आने तक मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता कार्यालय मे इन्तजार करते रहे। तत्पश्चात परिवादी ने आरोपी की लोकशन ज्ञात कर बताया कि आरोपी अभी कार्यालय मे उपस्थित आये है। जिस पर रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिह कानि. को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् मुकनदान निरीक्षक पुलिस, परिवादी श्री रेवन्तसिह, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री धनपत चारण व जयप्रकाश, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि., श्री मिश्रीमल कानि0 नं0 260, श्री सुराब खां कानि0 नं0 499, श्री लालाराम 344, श्री अनूपसिंह कानि0 नं0 397, ठाकराराम कानि., श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक, मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 9364 एवं प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार प्रधान डाकघर बाडमेर को रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के प्रधान डाकघर महावीर नगर बाडमेर के सामने पहुचा। श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. को डिजिटल रिकॉर्डर सपुर्द कर हिदायत हुई कि प्रधान डाकघर पहुचकर आरोपी की उपस्थित ज्ञात कर डिजिटल रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि लेन–देन हेतु रवाना करे एवं स्वयं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार मे खडे रहे। परिवादी व श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. को आरोपी के कार्यालय रवाना किया। मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अपने साथ लाये वाहनो मे बैठकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार मे व्यस्त रहा।

दिनांक 03.06.2022 वक्त 5.34 पी.एम. पर रुबरु स्वतंत्र गवाहान के श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. ने मन निरीक्षक को मोबाईल वार्ता कर परिवादी श्री रेवन्तसिह एवं आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर के रिश्वती राशि लेन–देन होना बताया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाहान के प्रधान डाकघर आरोपी के कार्यालय पहुचा, जहॉ पर परिवादी श्री रेवन्तसिह व श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. कार्यालय के बाहर गैलेरी मे उपस्थित मिले, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर कब्जे में लिया। परिवादी को साथ लेकर डाकघर अधीक्षक के कार्यालय कक्ष मे प्रवेश हुए जिस पर परिवादी श्री रेवन्तसिह ने उक्त कक्ष मे कम्प्युटर टेबल पर बैठकर कार्य कर रहे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री संग्राम भंसाली है जिन्होने मेरे से मेरा एरियर भुगतान करने की एवज मे 7000रूपये मांगकर कार्यालय कक्ष की टेबल पर कप स्टेण्ड के नीचे रखवाये जो सामने ही टेबल पर पडे है। जिस पर मन्

निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए सामने ही बैठे व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री संग्राम भंसाली पुत्र स्व0 श्री मोहनराज भंसाली उम्र 50 वर्ष जाति जैन निवासी जून किराडू मार्ग, चिदडियो की जाल के पास बाडमेर पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर हाल निवासी किराये का मकान 34 आद र्श नगर पाली हाल अधीक्षक डाकघर कार्यालय प्रधान डाकघर बाडमेर मोबाईल नम्बर 9530405851 होना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा की आप इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिस पर रुबरु गवाहान आरोपी श्री संग्राम भंसाली ने बताया कि मै इनको जानता हूँ यह मेरे कर्मचारी है इनका नाम श्री रेवन्तसिह है इन्होने मेरे से 5000रूपये पूर्व उधार लिये थे जिसका ब्याज प्रतिमाह 200 रूपये देने का कहा था। जून 2006 मे मेरा निरीक्षक डाकघर मे प्रमोशन होने से ट्रेनिग पर चला गया उसके बाद मेरी पोस्टिग आबूरोड हुई थी उस समय से इसने मुझे ब्याज नही दिया था और मूल राशि भी नही दी थी। मेरा बाडमेर मे अधीक्षक डाकघर के पद पर प्रमो न होने पर मैने दिनांक 11.10.2021 को बाडमेर मे ज्वाईन किया था। मार्च 2022 मे श्री रेवन्तसिह ने मेरे को कहा कि हमारा कोई पुराना एरियर है भुगतान करवा दो, तब मैने कहा फाईल पुटअप करवा दो, मै साईन कर दूंगा, उस समय श्री रेवन्तसिह ने कहा कि मुझे एरियर मिलेगा उसमे से आपके ब्याज सहित कुल राशि 40,000रूपये मे से 30,000 रूपये अभी दे दूंगा व शेश राशि प्रतिमाह हजार रूपये के हिसाब से बाद मे दे दूंगा। इसके बाद इसने मुझे 30,000 रूपये कार्यालय मे दिये जिसकी दिनांक मुझे आज याद नही है, किन्तु जिस दिन एरियर का भुगतान हुआ उसी दिन दिये थे। इसके बाद एक हजार रूपये मेरे को अप्रेल या मई 2022 मे दिये थे। इसके बाद यह एक बार मेरे पास आया और कहा कि आप कुछ कम कर दो मै एक साथ ही दे दूंगा। मैने कहा ठीक है ले आना तब देख लेगे। इसके बाद आज यह आपके आने से ठीक पहले रेवन्तसिह आया और इसने टेबल पर राशि रखी एवं कहा कि 7000 है। दो हजार छोड देना, मैने कहा जो देने है तेरी इच्छा है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान आरोपी श्री संग्राम भंसाली से परिवादी श्री रेवन्तसिह को 5000 रूपये कब उधार देने एवं उसकी कोई लिखापढी उनके पास होने का पूछने पर उन्होने बताया कि मैने वर्श 2006 से पहले रेवन्तसिह को उधार दिये थे। जिसकी तारीख मुझे याद नही है। मेरे द्वारा श्री रेवन्तसिह को जब राशि उधार दी थी उसका विवरण एक पर्ची पर रेवन्तसिह के हाथ से 5000 लिखा होकर उस पर रेवन्तसिह के हस्ताक्षर है जिस पर उस समय यह अंकित करवाया था कि समय पर कर दूंगा। उक्त पर्ची मेरे घर पर अलमारी मे मौजूद है जो मै अभी आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ। पास ही उपस्थित परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि भंसाली जी झूठ बोल रहे है इन्होने मुझे कोई राशि उधार नही दिये है। यह मेरे से मांगी गई रिश्वती राशि को गणना करके उधार मांगने का रूप देकर झूठ बोल रहे है। मेरे बकाया एरियर का भुगतान करने की एवज मे रिश्वती राशि लेकर मनगढत तथ्य पेश कर रहे है। जिस पर आरोपी की टेबल पर रखी रिश्वती राशि स्वतन्त्र गवाह श्री धनपत चारण से उठवाये जाकर गिनवाये जाने पर पॉच–पॉच सौ रुपये के चौदह नोट कुल 7000रुपये होना बताये, जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी से दूसरे गवाह श्री जयप्रकाश कनिष्ठ सहायक से करवाने पर गवाहान ने हुबहु नोट होना बताया, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। रिश्वती राशि आरोपी द्वारा परिवादी से मांग कर कार्यालय कक्ष की टेबल पर कप स्टैण्ड के नीचे टेबल पर रखवाये जाने पर उक्त स्थान पर बरामद होने पर उक्त स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कांच की एक साफ गिलास में कार्यालय प्रधान डाकघर बाडमेर से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में आधा साफ पानी भरकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात एक साफ कपडे की चिन्दी को साफ पानी से गीला कर रिश्वती राशि बरामदगी स्थल कार्यालय कक्ष की टेबल एवं कप स्टैण्ड जिनके बीच रिश्वती राशि बरामद हुई को रगडकर उक्त स्थल धोवन उक्त चिन्दी को रूबरू गवाहान उक्त रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर व निचोडकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क टी.–1 व टी.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त कपडे की चिन्दी को सुखाकर उक्त चिन्दी को एक कपडे की थैली मे डालकर उक्त थैली पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री संग्राम भंसाली की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री धनपत चारण से लिरवाई जाने पर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट मे कुल 7346 रूपये नकद, विभागीय आई कार्ड, एक पैन व मोबाईल एम आई रेडमी कम्पनी का होना पाया गया। जिसमे सिम के सम्बन्ध मे श्री संग्राम भंसाली ने एक एयरटेल सिम नम्बर 9413492369 एवं दूसरी बीएसएनएल कम्पनी की सिम नम्बर 9530405851

हिम्मत.

होना बताया। उक्त राशि मे से 5000रूपये सरकारी वाहन के इधन बाबत एडवांस राशि होना एव शेश 2346 रूपये स्वयं के निजी खर्च के होना बताया जिस पर श्री संग्राम भंसाली का स्पश्टीकरण मानने योग्य होने से उक्त राशि, आईकार्ड, पेन एवं मोबाईल को आईन्दा परिजनो को सुपुर्द किया जायेगा। आरोपी श्री संग्राम भंसाली से परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के सम्बन्ध मे पूछने पर उक्त पत्रावली श्री दिनेश छाजेड कार्यवाहक कार्यालय सहायक के पास होना बताया। जिस पर श्री दिनेश छाजेड को तलब कर उक्त पत्रावली की छायाप्रतिया कर उक्त पत्रावली को प्रमाणित कर सुपुर्द करने की हिदायत की एवं श्री दिनेश छाजेड को परिवादी का पैण्डिग कार्य नियमानुसार करवाने बाबत हिदायत हुई। तत्पश्चात आरोपी श्री संग्राम भंसाली को परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे मे पुनः पूछने पर उसने बताया कि मैने परिवादी को उधार राशि दी थी जिसकी लिखापढी मेरे पास मेरे घर पर पडी है मै आपको अभी साथ चलकर उक्त पर्ची को सुपुर्द कर सकता हूँ। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान डिजिटल रिकार्डर को चालू सुना तो उसमे आरोपी ने परिवादी से उसका एरियर भुगतान करवाने की एवज मे 7000रूपये रिश्वती राशि मांगकर टेबल पर रखवाने के तथ्य उजागर हुए एवं आरोपी द्वारा 5000 रूपये उधार देना एवं ब्याज के रूप मे करीब 35000 प्राप्त करने का बता रहा है जो किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। आरोपी द्वारा परिवादी से अब तक रिश्वत मे प्राप्त की गई राशि की पूर्ण गणना कर अपना स्पष्टीकरण बताया है जिसमे द्वारा पूर्व मे 30000रूपये व एक हजार रूपये प्राप्त करना स्वीकार किया है जिसकी पुश्टि रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता से भी होती है। रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता मे एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता मे कही पर भी उधार राशि एवं उधार राशि पर ब्याज की राशि की मांग करना नही आया है। अगर आज प्राप्त की गई राशि 7000रूपये अगर उधार एवं उस पर ब्याज की राशि होती तो वह परिवादी से टेबल पर नही रखवाकर अपने हाथ से प्राप्त करता किन्तु आरोपी को परिवादी पर संदेह होने एव उक्त रिश्वती की राशि होने से हाथ मे नही लेकर टेबल पर रखवाई है। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं दस्तायाब सुदा श्री संग्राम भंसाली को सरकारी बोलेरो वाहन से व चालक श्री सहदेवसिह कनिश्ठ सहायक के श्री संग्राम भंसाली के निवासी स्थान जूना किराडू मार्ग चिदडियो की जाल बाडमेर को रवाना हुआ एवं श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. व शेश ब्यूरो दल को प्रधान डाकघर बाडमेर मे धोवन के प्राद ा व बरामदा रिश्वती रा ा की सुरक्षा की हिदायत दी एवं परिवादी श्री रेवन्तसिह को भी ब्यूरो दल के साथ यही उपस्थित रहने की हिदायत देकर मन निरीक्षक पुलिस दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं दस्तायाब सुदा श्री संग्राम भंसाली जरिये सरकारी बोलेरो जूना किराडू मार्ग चिदडियो की जाल बाडमेर मे उनके पैतृक निवास पहुँचा, जहां पर कुछ व्यक्ति घर के बाहर खडे मिले जिस पर श्री संग्राम भंसाली ने बाहर खडे व्यक्तियो मे से अपने भाई अजीतराज भंसाली को उक्त वाहन के पास बुलाया एवं बताया कि यह मेरे बडे भाई है मै इनको उक्त पर्ची के सम्बन्ध मे रखे स्थान का बताउगा तो यह लाकर सुपुर्द कर देंगे। जिस पर श्री अजीतराज भंसाली को श्री संग्राम भंसाली द्वारा अपनी अलमारी मे रखे दस्तावेजो मे एक चैक जो रेवन्तसिह के नाम का है जो अन्दर पडा है मेरे को लाकर दो, जिस पर उक्त व्यक्ति उक्त स्थान से रवाना होकर सामने ही मोबाईल पर वार्ता करने लग गया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को पुनः पर्ची खोजकर लोने बाबत कहने पर वह अन्दर जाकर वापिस आकर पर्ची नही होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पुनः प्रधान डाकघर बाडमेर के लिए रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं दस्तायाब सुदा श्री संग्राम भंसाली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो प्रधान डाकघर पहुँचा, जहा पूर्व हिदायत अनुसार श्री मोहम्मद हनीफ, परिवादी श्री रेवन्तसिह मय ब्यूरो दल के उपस्थित मिले एवं परिवादी श्री रेवन्तसिह की निशादेही पर नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री रेवन्तसिह एवं आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर के मध्य आज दिनांक 03.06.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री लालाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर की आवाज की पहचान एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री रेवन्तसिह द्वारा की गई। आरोपी श्री संग्राम भंसाली का भाई एवं अन्य परिजन मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष आकर बताया कि उधार की राशि है जिसकी लिखापढी की तलाश हम हमारे घर मे करवा रहे है मिलते ही आपको सुपुर्द कर देंगे। ताबाद ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर के पैतृक रहवासीय आवास की खाना तलाशी मूर्तिब करने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो जाब्ता श्री सुराब खां कानि0, श्री लालाराम कानि. एवं श्री सहदेवसिह कनिश्ठ सहायक दस्तयाब सुदा आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर जरिये सरकारी

बोलेरो जूना किराडू मार्ग चिदडियो की जाल बाडमेर स्थित उनके पैतृक निवास स्थान के लिए रवाना हुआ एवं श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. व शेश ब्यूरो दल को धोवन के प्राद ि व बरामदा रिश्वती रा ि की सुरक्षा की हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के आरोपी श्री संग्राम भंसाली के जूना किराडू मार्ग चिदडियो की जाल बाडमेर स्थित पैतृक आवास पहुचा। रूबरू स्वतन्त्र गवाहान एवं पुलिस लाईन बाडमेर तलबसुदा महिला कानि. की उपस्थित मे रहवासी मकान की खाना तलाशी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री संग्राम भंसाली के परिवारजन द्वारा एक पर्ची मन निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान प्रस्तुत कर बताया कि उक्त पर्ची पर उधार राशि बकाया होने का लिखा होकर रेवन्तसिह के हस्ताक्षर है जिस पर श्री संग्राम भंसाली ने बताया कि इस पर मेरे हस्तकलमी 5000 बकाया होने की इबारत लिखी होकर श्री रेवन्तसिह के हस्ताक्षर किये हुए है। जिस पर वर्श 2004 मे उधार राशि प्राप्त करना लिखा है। उक्त पर्ची को शामिल रनिग नोट किया गया। मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं दस्तायाबसुदा श्री संग्राम भंसाली के पुनः प्रधान डाकघर बाडमेर को रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन बोलेरो के प्रधान डाकघर बाडमेर पहुचा। जहा पूर्व हिदायत अनुसार श्री मोहम्मद हनीफ, परिवादी श्री रेवन्तसिह मय ब्यूरो दल के उपस्थित मिले। श्री दिनेश छाजेड कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक प्रधान डाकघर बाडमेर ने परिवादी श्री रेवन्तसिह एमटीएस बाडमेर मण्डल की वर्श 2017 से बकाया एरियर सम्बन्धित पत्रावली की पृश्ठ संख्या 01 से 107 तक की प्रमाणित प्रतिया अपने पत्र दिनांक 03.06.2022 के संलग्न रूबरू गवाहान प्रस्तुत की। जिसे बाद अवलोकन शामिल रनिग नोट किया गया। पत्रावली के अवलोकन से परिवादी श्री रेवन्तसिह का एरियर भुगतान बकाया होना पाया गया। चुंकि खाना तलाशी के दौरान परिवारजनो द्वारा उधार राशि की पर्ची मन निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान प्रस्तुत की थी। जिस पर लिखी ईबारत की लिखावट का श्री संग्राम भंसाली के कार्यालय दस्तावेजो मे लिखी लिखावट से एवं परिवादी के पर्ची पर किये हस्ताक्षर एवं ब्यूरो चौकी मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय के दस्तावेजो मे किये गये हस्ताक्षरो से मिलान करवाये जाने पर आरोपी संग्रामी भंसाली की लिखावट एवं परिवादी के हस्ताक्षरो का मिलान होना नही पाया गया। पर्ची लगभग (2004) 18 साल पुरानी होना, मांग सत्यापन मे उधार रूपयो व ब्याज का जिक नही होना, मांग सत्यापन मे एरियर की निरन्तरता मे ही रिश्वती की राशि के सम्बन्ध मे वार्ता करना एवं मौके पर उपस्थित परिवादी से पूछने पर उक्त पर्ची पर अपने हस्ताक्षर नही होकर उक्त हस्ताक्षर फर्जी होना बताना इत्यादि कारणो से पर्ची प्रथम दृश्टया संदिग्ध होना पाया गई। जिसके सम्बन्ध मे आईन्दा अनुसन्धान के दौरान हस्ताक्षर एवं हस्तलेखन का विशेशज्ञ से स्पश्ट होगा। उक्त संदिग्ध पर्ची को शामिल रनिग नोट किया गया।

दिनांक 03.06.2022 को समय 10.30 पी0एम0 पर आरोपी श्री संग्राम भंसाली पुत्र स्व0 श्री मोहनराज भंसाली उम्र 50 वर्श जाति जैन निवासी जून किराडू मार्ग, चिदडियो की जाल के पास बाडमेर पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर हाल निवासी किराये का मकान 34 आद ि नगर पाली हाल अधीक्षक डाकघर कार्यालय प्रधान डाकघर बाडमेर मोबाईल नम्बर 9530405851 के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार भाई अजीतराज को दी गई। ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त फर्दात को आरोपी श्री संग्राम भंसाली द्वारा रूबरू गवाहान एवं इनके बडे भाई श्री अजीतरात भंसाली के रूबरू पढकर हस्ताक्षर करने से मना किया। जिस पर पुनः मन निरीक्षक पुलिस द्वारा विधिक प्रावधानो से अवगत करवाया किन्तु उसके उपरान्त उन्होने ने पुनः हस्ताक्षर करने से मना किया एवं कहा कि आपको जो करना है वो कर लो मेरा कुछ भी नही होगा मै आप सभी को देख लूंगा। ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की एक मूल सी0डी0 शील्ड शुदा एवं एक डब सी0डी0 खुली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 7000रू0 शील्ड चिटयुक्त, धोवन की शीशियां मार्क टी–01 व टी–02 एवं कपडे की चिन्दी का सिल्डशुदा पैकेट इत्यादि मालखाना आईटम्स श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 को सुपूर्द कर ब्यूरो चौकी बाडमेर पहुँचने पर सुरक्षित जमा मालखाना करवाने की हिदायत दी जाकर मौके पर कार्यवाही शेष नही होने से मन निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता परिवादी श्री रेवन्तसिह, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, गिरफतारशुदा आरोपी श्री संग्राम भंसाली मय मालखाना आईटम के जरिये सरकारी बोलेरो एवं निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय बाडमेर को रवाना होने लगा तो करीब 40–50 लोगो द्वारा सरकारी वाहन बोलेरो का घेराव करते हुए आडे खडे हो गये एवं कहने लगे कि आपको नही जाने देगे, नारेबाजी करते हुए काफी देर तक गाडी को रोके रखा, जिस पर उक्त लोगो को मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान द्वारा समझाईश कर ब्यूरो कार्यालय बाडमेर को रवाना होकर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय बाडमेर पहुचा। मालखाना आईटम्स श्री मोहम्मद

हनीफ हैड कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री रेवन्तसिह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूखस्त किया गया। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर मन निरीक्षक, श्री अनूपसिह कानि., सुराब खां कानि., श्री लालाराम कानि0 एवं श्री सहदेवसिह कनिश्ठ सहायक मय आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर के जरिये सरकारी वाहन के रवाना आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के पश्चात आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर जरिये सरकारी वाहन के उपस्थित आये एवं श्री लालाराम कानि. को आरोपी की निगरानी हेतु पुलिस थाना कोतवाली उपस्थित रहने की हिदायत दी। दिनांक 04.06.2022 को ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतू रिमाण्ड़ फार्म तैयार किया गया एवं आरोपी के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर पंजीबद्व हेतु ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित की गई।

इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री रेवन्तसिह द्वारा रिपोर्ट पेश बताया कि मैं डाक विभाग में पहले अस्थाई केजूअल लेबर के पद पर पदस्थापित था एवं वर्ष 2020 में मेरा नियमित कर्मचारी (एमटीएस) में चयन हो गया। वर्ष 2022 में मुझे केजुअल लेबर का भुगतान होना था, जिस पर उक्त भुगतान बाबत मैं श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाक घर बाड़मेर से दिनांक 29.03.2022 को मिला तो उन्हौने मुझे 64500रुपये एरियर भुगतान की एवज में 40,000रुपये बतौर रिश्वत देने की शर्त पर ही एरियर स्वीकृति करने का कहा, जिस पर उन्हौने मेरे से 30,000रुपये दिनांक 31.03.2022 को रोकड़ उनके चेम्बर में दिये, उसके बाद व रोज मुझे बकाया 10,000रुपये की मांग कर रहे है एवं बोल रहे है कि आपका आगे और जो एरियर स्वीकृत होना है व मैं जब तक स्वीकृत नहीं करुंगा जब तक आप बकाया 10,000रुपये मुझे नहीं दोगे, जिस पर मैने उन्हें प्रति माह एक हजार रुपये देने का कहा एवं मैने उसके बाद 1,000रुपये की पहली किस्त दिनांक 28.04.2022 को दे दी है एवं अब वह बकाया 9,000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज कार्य के लिए अधीक्षक डाक घर बाड़मेर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूॅ, उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूॅ, मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजिस या दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा आपस में कोई लेन–देन बकाया है। परिवादी ने दिनांक 29.03.2022 को स्वीकृत एरियर आदेश की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत की। जिस पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन से आरोपी श्री संग्राम भंसाली द्वारा परिवादी के बकाया एरियर भुगतान की एवज में 7000रूपये रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर स्वतंत्र गवाहान तलब कर दिनांक 03.06.2022 ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री संग्राम भंसाली ने परिवादी से रिश्वती राशि 7000रूपये अपनी टेबल पर कप स्टैण्ड के नीचे रखवाये गये जहा से रिश्वती राशि रूबरू गवाहान के बरामद की गई। परिवादी के पैण्डिग एरियर से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जिसमे परिवादी का एरियर भुगतान बकाया होना पाया गया। आरोपी श्री संग्राम भंसाली अधीक्षक डाकघर बाडमेर को उसके द्वारा किये गये अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उसे गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री संग्राम भंसाली पुत्र स्व0 श्री मोहनराज भंसाली उम्र 50 वर्ष जाति जैन निवासी जून किराडू मार्ग, चिदडियो की जाल के पास बाडमेर पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर हाल सहायक अधीक्षक (तदर्थ अधीक्षक डाक बाडमेर) कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाडमेर के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(मुकनदान)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकनदान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री संग्राम भंसाली, सहायक अधीक्षक (तदर्थ अधीक्षक, डाक, बाड़मेर) कार्यालय अधीक्षक, डाकघर बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 218/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1926-30 दिनांक 4.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमण्डल, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

4.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।